



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 फरवरी, 2026

फाल्गुन 5, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या जन 16/तीन-2026-12(12)-2018

लखनऊ, 24 फरवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0-35

भारत की जनगणना, 2021 के लिए भारत सरकार (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्या का0आ0120(अ) दिनांक 07 जनवरी, 2020 को पुनः प्रकाशित करने सम्बंधी उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी0आई0 09/तीन-20-12(12)2018 दिनांक 05 मार्च, 2020 का अधिक्रमण करके गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना को, जनगणना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-37 सन् 1948) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गयी जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8 के खण्ड (एक) के अधीन यथा अपेक्षित उत्तर प्रदेश राज्य के जनमान्य को यह सूचित करने के लिए एतद्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है कि जनगणना, केन्द्रीय सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार संचालित की जायेगी:-

“गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

का0आ0 353(अ)-केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3 उपखण्ड II तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की

अधिसूचना संख्यांक का0आ0 120 (अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिकांश करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अनुदेश देती है कि वे सभी जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, अपनी नियुक्ति से सम्बंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर, भारत की जनगणना, 2027 के सम्बंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रमाणित मदों के सम्बंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात्:-

- 1- भवन नम्बर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर)
- 2- जनगणना मकान नम्बर
- 3- जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- 4- जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- 5- जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- 6- जनगणना मकान के उपयोग
- 7- जनगणना मकान की हालत
- 8- परिवार क्रमांक
- 9- परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
- 10- परिवार के मुखिया का नाम
- 11- परिवार के मुखिया का लिंग
- 12- क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से सम्बंधित है
- 13- मकान के स्वामित्व की स्थिति
- 14- परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
- 15- परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पतियों की संख्या
- 16- पेयजल का मुख्य स्रोत
- 17- पेयजल स्रोत की उपलब्धता
- 18- प्रकाश का मुख्य स्रोत
- 19- शौचालय की सुलभता
- 20- शौचालय का प्रकार
- 21- गंदे पानी की निकासी
- 22- स्नानगृह की उपलब्धता

23- रसोईघर और एल0पी0जी0/पी0एन0जी0 कनेक्शन की उपलब्धता

24- खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन

25- रेडियो/ट्रांजिस्टर

26- टेलीविजन

27- इंटरनेट सुविधा

28- लैपटॉप/कम्प्यूटर

29- टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन

30- साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड

31- कार/जीप/वैन

32- परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज

33- मोबाइल नम्बर (केवल जनगणना सम्बंधी संसूचना के लिए)

[फा0सं0 9/8/2025-सीडी(सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

आज्ञा से,

एस0वी0एस0 रंगा राव,

प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.JAN.16/III-2026-12(12)-2018, dated February 24 , 2026 for general information :-

No. JAN. 16/III-2026-12(12)-2018

Dated Lucknow, February 24, 2026

IN supersession of the notification no. G.I.09/III-20-12(12)-2018 dated 5th March, 2020 published in the Official *Gazette* of Uttar Pradesh, regarding republishing the notification no. S.O.120(E), dated 7th January, 2020, of the Government of India (Office of the Registrar General of India), for the census of population of India, 2021, the following Notification issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, is hereby republished as required under Clause (i) of Rule 8 of the census rules, 1990 made by the Central Government under sub-section (1) of Section 18 of the Census Act, 1948 (Act no. 37 of 1948), to inform the general public of the State of Uttar Pradesh that the Census shall be conducted in accordance with the said notification of the Central Government:-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of Registrar General, India)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd January, 2026

S.O. 353(E).- IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 120(E), dated the 7th January 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 9th January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby instructs that all the Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Houselisting & Housing Census schedule in connection with the Census of India 2027, namely :-

1. Building number (Municipal or local authority or census number).
2. Census house number.
3. Predominant material of floor of the census house.
4. Predominant material of wall of the census house.
5. Predominant material of roof of the census house.
6. Ascertain use of census house.
7. Condition of the census house.
8. Household number.
9. Total number of persons normally residing in the household.
10. Name of the head of the household.
11. Sex of the head of the household.
12. Whether the head of the household belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other.
13. Ownership status of the census house.
14. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household.
15. Number of married couple(s) living in the household.
16. Main source of drinking water.
17. Availability of drinking water source.
18. Main source of lighting.
19. Access to latrine.
20. Type of latrine.
21. Waste water outlet.
22. Availability of bathing facility.
23. Availability of kitchen and LPG/PNG connection.
24. Main fuel used for cooking.
25. Radio/Transistor.
26. Television.
27. Access to internet.
28. Laptop/Computer.
29. Telephone/Mobile Phone/Smartphone.
30. Bicycle/Scooter/Motorcycle/Moped.
31. Car/Jeep/Van.
32. Main Cereal consumed in the household.
33. Mobile Number (for census related communications only).

[F.No.9/8/2025-CD(Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner, India.

By order,
S.V.S. RANGA RAO,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 393 राजपत्र-2026-(1236)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 58 सा० प्रशासन-2026-(1237)-100 प्रतियां (डी०टी०पी० / आफसेट)।